उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में स्थित प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा का समीक्षात्मक अध्ययन

राजेश कुमार श्रीवास्तव*

प्राथमिक शिक्षा को 1 अप्रैल 2010 से अनिवार्य व निःशुल्क कर दिया गया तथा बेसिक शिक्षा (6–14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा) का दायित्व सरकार को दे दिया गया। लेकिन सरकार, समाज व शिक्षकों की उदासीनता के चलते इस दिशा में ठोस प्रगति नहीं कर पा रही है। आज पर्याप्त विद्यालय खुल जाने के बावजूद तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, शिक्षा प्रेरकों एवं अनुदेशकों की नियुक्ति के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति होती दिखाई नहीं दे रही है। निजी स्कूल में विद्यार्थी फ़ीस जमा करते हैं, इसलिए निजी प्रबन्धन विद्यार्थियों को 'उत्पादक' मानता है और इनके विकास के लिए सभी सार्थक कदम उठाने से भी नहीं चूकता है। प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था विशेषकर उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में स्थित प्राथमिक स्कूल की शिक्षा का समीक्षात्मक अध्ययन शोधक द्वारा वर्ष 2016 में किया गया जिसमें ज़िले के सात ब्लॉक के 26 विद्यालयों में जाकर मात्रात्मक एवं गुणात्मक आँकड़े एकत्र किए गए। साथ ही, समाचार-पत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण कर गाज़ीपुर ज़िले की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई है जिसे आप इस शोध पत्र में विस्तृत रूप में पढ़ेंगे।

औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के प्रथम स्तर को प्राथमिक शिक्षा स्तर कहा जाता है। बालक-बालिका की आयु 6 या 7 वर्ष होने पर उसकी प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ होती है तथा साधारणतः 14 वर्ष की आयु होने तक चलती है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बालक-बालिका किसी शिक्षा संस्था में नियमित ढंग से औपचारिक विद्याध्ययन करना प्रारम्भ कर देते हैं। अतः कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहा जा सकता है। शिक्षा आयोग (1964–66) ने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा को निम्न प्राथमिक शिक्षा तथा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा है। अतः निम्न प्राथमिक शिक्षा सामान्यतः 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए होती है, जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रायः 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए होती है।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विचार वस्तुतः मानवतावादी प्रजातान्त्रिक शासन-व्यवस्था की

**प्राध्यापक*, (बी.एड. संकाय) टी.एन. अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हरिगाँव, आरा, बिहार – 802301

देन माना जा सकता है। सभी नागरिकों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का नारा सबसे पहले 19वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमीं देशों में दिया गया। स्वीडन ने सबसे पहले सन् 1842 में अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की। इसके उपरांत सन् 1852 में अमेरिका, सन् 1860 में नार्वे, सन् 1870 में इंग्लैंड तथा सन् 1905 में हंगरी, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड आदि ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, विदेशी शासन के कारण यह कार्य भारत में काफ़ी समय तक नहीं हो पाया। यद्यपि कुछ भारतीय व विदेशी शिक्षाविदों ने इस दिशा में प्रयास किए, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। सन् 1882 में दादाभाई नौरोजी ने भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर आयोग) के सामने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने की माँग रखी थी। यद्यपि उनकी इस माँग को स्वीकार नहीं किया गया, परन्तु इस माँग ने भारतवासियों के लिए अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता की तरफ़ सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की दिशा में प्रथम आंशिक रूप से सफल प्रयास सर इब्राहिम रहीमतुल्ला व सर चिमन लाल सीतलवाड़ का रहा। इन दोनों के प्रयासों के फलस्वरूप बम्बई सरकार ने सन् 1906 में बम्बई में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की सम्भावना पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया। परन्तु दुर्भाग्यवश इस समिति का निर्णय अनिवार्यता के पक्ष में नहीं था। सन् 1906 के बाद भी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली।

सन् 1947 में भारत को ब्रिटिश दासता से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तब स्वतंत्र भारत के संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने का संकल्प किया गया। इसमें कहा गया था कि "संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।"

परन्तु सन् 1950 के संवैधानिक संकल्प, राज्यों के अधिनियमों एवं केंद्र द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यान्वयन कार्यक्रमों के बावजूद प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने एवं 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालक-बालिकाओं को स्कूल भेजने तथा अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका था। सम्भवतः इस विषय स्थिति को देकर सन् 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 को शैशव-पूर्व देखभाल व शिक्षा तक सीमित करते हुए अनुच्छेद 21 को जोड़कर प्राथमिक शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया गया। इसके साथ-साथ अनुच्छेद 51क (ट) जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक की आयु के पाल्यों के सभी माता-पिता व संरक्षकों के लिए अपने पाल्यों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा की व्यवस्था करने के दायित्व को नागरिकों का मूल कर्तव्य घोषित कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों तथा नगरपालिकाओं

को शैक्षिक विकास की योजनाओं को तैयार करने व क्रियान्वित करने का अधिकार सौंप दिया गया था। पुनः 1 अप्रैल 2010 का दिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक बन गया। भारत में 6 से 14 वर्ष के बालकों/बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दी गई। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों/बालिकाओं की बेसिक शिक्षा का दायित्व सरकार को दे दिया गया।

अध्ययन की आवश्यकता

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में प्राथमिक शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। खासकर प्राथमिक शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार समय-समय पर अनुदान देकर इस दिशा में राज्यों का सहयोग करती रही है। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकारें पूर्ण ईमानदारी से प्राथमिक शिक्षा का संकल्प निभाने में अपना योगदान दे रही हैं? प्राथमिक शिक्षा बच्चों के जीवन का मूल आधार है। इसके बिना वे आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चों का आधार कमज़ोर रहेगा तो आगे बढ़कर वे उच्च शिक्षा में अपना अमूल्य योगदान कैसे दे सकेंगे? अगर इमारत की नींव कमज़ोर हो जाए तो उसके ऊपर कितना भी बढ़िया निर्माण क्यों न किया जाए, वह एक दिन अवश्य ही गिर जाएगा।

उत्तर प्रदेश का गाज़ीपुर ज़िला वाराणसी से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान के प्रमुख दर्शनीय स्थल लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा, एशिया की सबसे बड़ी अफ़ीम फ़ैक्ट्री आदि इसी ज़िले में अवस्थित हैं। ज़िले में 1953 प्राथमिक विद्यालय तथा 802 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। ज़िले में पाँच तहसील हैं एवं यह 15 विकास खंडों में बँटा हुआ है। ज़िले के प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं हैं। प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ़ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, कहीं-कहीं तो महज़ एक-दो विद्यार्थी ही दिखे। कक्षाओं में आमतौर पर 10–12 विद्यार्थियों की संख्या देखी गई है। अध्यापकगण गाँवों के ग्राम प्रधानों या अन्य नागरिकों से ग्राम के विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त कर उपस्थिति-पंजिका में अंकित कर लेते हैं, जबकि वे बच्चे ग्राम अथवा शहर के किसी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं। ग्रामों में उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा-मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति से करवाया है। इन शिक्षामित्रों व ग्राम प्रधानों की मदद से गाँव के हर एक विद्यार्थी की जानकारी प्रधानाध्यापकों को आसानी से प्राप्त हो जाती है। स्कूल की उपस्थिति-पंजिका में जितने विद्यार्थियों के नाम होते हैं, वास्तविकता में वे छात्र वहाँ आते ही नहीं और न ही उनको तथा उनके अभिभावकों को इसकी जानकारी ही होती है।

शोध शीर्षक

"उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में स्थित प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा का समीक्षात्मक अध्ययन।"

अध्ययन का उद्देश्य

1. प्राथमिक विद्यालयों के छात्र उपस्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
2. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की स्थिति का अध्ययन करना।

3. प्राथमिक विद्यालयों में व्याप्त संसाधनों का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
4. प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न में दिए जाने वाले आहार का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
5. प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अध्ययन-अध्यापन हेतु सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
6. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षण के अलावा किए जाने वाले कार्यों का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
7. प्राथमिक विद्यालयों में 'नई दिशा कार्यक्रम' से आए परिवर्तनों का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
8. बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा ग्राम शिक्षा समितियों का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

1. प्रस्तुत अध्ययन अवलोकन व साक्षात्कार के आधार पर किया गया है। शोधकर्ता ने 18 ब्लॉकों में से सात ब्लॉकों के 26 विद्यालयों का स्वयं जाकर अध्ययन किया तथा इन विद्यालयों से जुड़े शिक्षकों के साथ साक्षात्कार किया।
2. प्राथमिक शिक्षा के संबंध में संपूर्ण अवलोकन व साक्षात्कार का गहन अध्ययन कर शिक्षा संबंधी विचारों पर चिंतन और चिंतन की आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की। प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा आज की ज्वलन्त समस्याओं में से एक है, जिसका हल ढूँढ़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिक विद्यालयों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षार्थी कहाँ तक अपना ज्ञान रूपी चक्षु खोलने में सहायक हो पाएगा, इस पर शीघ्र ही विचार करने की ज़रूरत है।

न्यादर्श के लिए चयनित गाज़ीपुर ज़िले के स्कूलों का विवरण

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	पंजीकृत छात्र	उपस्थित छात्र	अध्यापक	कक्ष संख्या
	ब्लॉक – मनिहारी				
1.	प्राथमिक विद्यालय, मोहनपुर, गाज़ीपुर	39	15	3	3
2.	प्राथमिक विद्यालय, इन्द्रपुरछीड़ी, गाज़ीपुर	90	60	3	4
3.	पूर्व माध्यमिक विद्यालय, इन्द्रपुरछीड़ी, गाज़ीपुर	200	125	8	6
	ब्लॉक – जखनियाँ				
1.	प्राथमिक विद्यालय, धर्मागतपुर, गाज़ीपुर	115	100	3	8
2.	प्राथमिक विद्यालय, केसरुआ, गाज़ीपुर	93	70	3	2
	ब्लॉक – करण्डा				
1.	प्राथमिक विद्यालय, आकुसपुर, गाज़ीपुर	80	70	4	5
2.	प्राथमिक विद्यालय, ढेलवा, गाज़ीपुर	150	100	5	4
3.	प्राथमिक विद्यालय, करण्डा प्रथम, गाज़ीपुर	100	60	3	7
4.	पूर्व माध्यमिक विद्यालय, करण्डा द्वितीय, गाज़ीपुर	100	80	5	9
5.	प्राथमिक विद्यालय, परमेठ, करण्डा, गाज़ीपुर	70	50	4	4

	ब्लॉक – सदर				
1.	प्राथमिक विद्यालय, जंजीरपुर, गाज़ीपुर	60	40	4	6
2.	प्राथमिक विद्यालय, हुसैनपुर, गाज़ीपुर	60	15	4	8
3.	प्राथमिक विद्यालय, पुरथा, गाज़ीपुर	80	60	5	4
4.	प्राथमिक विद्यालय, मड़ऊहाँ, गाज़ीपुर	50	25	3	5
5.	प्राथमिक विद्यालय, तलाहाबाद, देवकली, गाज़ीपुर	130	80	4	4
6.	मॉडल जूनियर हाई स्कूल	207	150	4	6
	ब्लॉक – जमानियाँ				
1.	आदर्श प्राथमिक विद्यालय, गरूआ मकसूदपुर, गाज़ीपुर	202	190	4	4
2.	प्राथमिक विद्यालय, भगीरथपुर, गाज़ीपुर	130	105	5	3
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, गरूआ मकसूदपुर, गाज़ीपुर	180	120	10	4
	ब्लॉक – रेवतीपुर				
1.	प्राथमिक विद्यालय, रमवल, गाज़ीपुर	125	60	8	7
2.	प्राथमिक विद्यालय, रमवल जूनियर, गाज़ीपुर	110	55	3	3
	ब्लॉक – बिरनो				
1.	प्राथमिक विद्यालय, भड़सर द्वितीय, गाज़ीपुर	107	90	6	3
2.	प्राथमिक विद्यालय, भड़सर प्रथम, गाज़ीपुर	132	100	5	5
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, बिरनो, गाज़ीपुर (कक्षा 6–8)	250	200	5	6
4.	प्राथमिक विद्यालय, रजईपुर, गाज़ीपुर	76	45	3	3
5.	प्राथमिक विद्यालय, पिरथीपुर, गाज़ीपुर	42	30	3	3

(उपरोक्त तालिका में प्राथमिक विद्यालय को पहली से पाँचवीं कक्षा तक और उच्च प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय को छठी से आठवीं तक की कक्षा के तौर पर इंगित किया गया है।)

मुख्य परिणाम

1. सरकार ने 100 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके बावजूद प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। शोधक ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता है, जहाँ पर यह पाया गया है कि प्रधानाध्यापक शहरी क्षेत्रों में गए बच्चों अथवा पढ़ने वाले बच्चों का नाम रजिस्टर में दर्ज करके अपनी व अधिकारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में कक्षाओं में काफ़ी कम बालक/बालिका देखे गए हैं। सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु स्कूल न जाने वाले बच्चों के घरों की दीवार पर रंगीन चॉक से इसकी सूचना दर्ज कराने का फ़ैसला लिया है। इसके लिए शिक्षकों को घर-घर जाकर सर्वे करना होगा। साथ ही

प्रत्येक खण्ड विकास अधिकारी (बी.ई.ओ.) को यह प्रमाण-पत्र भी देना होगा कि उनके क्षेत्र में कक्षा 5 पास करने वाले सभी विद्यार्थियों ने कक्षा 6 में दाखिला ले लिया है। इस सम्बन्ध में शासन ने सभी ज़िलाधिकारियों को ज़रूरी निर्देश भेजते हुए उनसे 20 अगस्त, 2016 तक रिपोर्ट माँगी है। प्रदेश में 6–14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में इस उम्र के बच्चे स्कूल से बाहर हैं।

2. अधिकतर स्कूल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं जबकि कक्षा एक से पाँच तक कम-से-कम पाँच शिक्षक होने चाहिए जो हर एक कक्षा में समयानुसार पढ़ा सकें। लेकिन समाचार-पत्रों से प्राप्त जानकारी व वास्तविकता में यह देखा गया है कि मात्र एक शिक्षक के सहारे स्कूल चलने पर बाध्य हैं। समाचार-पत्र *अमर उजाला* (8 अगस्त, 2016) की खबरों के अनुसार — प्रदेश में जहाँ एक ओर पिछले दो वर्षों में सवा दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, वहीं करीब 20 हज़ार बेसिक स्कूल सिर्फ़ एक-एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। शासन द्वारा इस पर सख्त रुख अपनाने के बाद निदेशक, बेसिक शिक्षा ने स्थिति में बदलाव लाने के लिए सभी ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को हफ्ते भर की मोहलत दी है। उनसे कहा गया है कि जिन स्कूलों में आठ से ज़्यादा शिक्षक तैनात हैं, वहाँ से अतिरिक्त शिक्षक हटाकर एकल विद्यालयों में तैनाती का प्रस्ताव 10 अगस्त, 2016 तक बेसिक शिक्षा परिषद् को भेजें। उत्तर प्रदेश में 1 लाख 58 हज़ार 396 बेसिक स्कूल हैं। शासन ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं रहेगा, जिसमें सिर्फ़ एक शिक्षक तैनात हो। (*अमर उजाला* 4 अगस्त, 2016) शासन द्वारा तैयार की गई एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 20 हज़ार स्कूलों में सिर्फ़ एक ही शिक्षक तैनात किया गया है। वहीं, शहरी क्षेत्र से सटे हज़ारों स्कूलों में आठ से ज़्यादा शिक्षकों को तैनात कर दिया गया है।

कुछ स्कूलों में एक या दो शिक्षकों के रहते हुए भी स्कूलों के ताले नहीं खुलते हैं, कुछ शिक्षक स्कूलों में जाने व पठन-पाठन की ज़रूरत तक नहीं समझते। मामला प्रकाश में आने पर इस पर कार्यवाही के नाम पर लीपापोती ही होती है। (*अमर उजाला,* 24 जुलाई, 2016) ऐसे ही एक स्कूल का विवरण आगे दिया गया है। यह प्राथमिक विद्यालय सुहवल ग्राम पंचायत भिक्खीचौरा की यादव बस्ती में है। यह प्राथमिक विद्यालय दो वर्षों से बंद पड़ा है। शिकायत सुनते ही ज़िलाधिकारी काफ़ी नाराज़ हुए और जाँच के आदेश दे दिए। इस स्कूल में 42 विद्यार्थियों का पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज है। लेकिन नियुक्त अध्यापक कभी विद्यालय नहीं आते हैं। इसके कारण परिसर में घास उग गई है तथा भवन भी जर्जर होने लगा है। इस सम्बन्ध में जाँच अधिकारियों का कहना था कि इस विद्यालय में 42 छात्र पंजीकृत हैं तथा दो अध्यापक तैनात हैं। इसकी सूचना ज़िलाधिकारी को दे दी गई है।

3. सरकारी विद्यालयों में भवन, पेयजल, बिजली तथा फ़र्नीचर आदि की भी दुर्दशा ही रहती है। सरकारी स्कूलों में अधिकतम दो-तीन कक्ष ही हैं जिनमें से दो कक्षों का उपयोग पढ़ाई-लिखाई के लिए होता है। बाकी एक कक्ष का प्रयोग स्टॉक

को रखने के काम में आता है। जबकि एक कक्षा को चलाने के लिए एक कक्ष चाहिए अर्थात् पाँच कक्षाओं को संचालित करने के लिए पाँच कक्ष चाहिए। यह समस्या अधिकतर विद्यालयों में है। सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। अधिकतर स्कूलों में विद्यार्थियों को ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करनी होती है, जबकि निजी स्कूलों में उनके लिए कुर्सी-मेज़ होती है जिससे उनका रुझान उस ओर ज़्यादा रहता है। कहीं-कहीं स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं, कभी-कभी ऐसे भवनों के गिरने की सूचना भी मिलती रही है। अमर उजाला (24 जुलाई, 2016) समाचार-पत्र की सूचना के अनुसार, स्थानीय विकास खंड के अन्तर्गत कृतसिंहपुर गाँव में स्थित बेसिक प्राइमरी पाठशाला का भूकंपरोधी बना कमरा शनिवार को दोपहर बाद अचानक भरभराकर गिर पड़ा। संयोग रहा कि इसके कुछ देर पूर्व ही विद्यालय की छुट्टी हुई थी। स्थिति यह रही कि 2002 में बने कुल चार कमरों में से तीन कमरे गिर चुके हैं। जबकि एक की हालत जर्जर बनी हुई है। 2002 में लाखों रुपये की लागत से चार भूकंपरोधी कमरे बनाए गए थे। प्रधानाध्यापक के मुताबिक यहाँ 104 छात्र-छात्राएँ पंजीकृत हैं जिसमें से 61 छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे, जो घटना के कुछ देर पूर्व घर चले गए थे। ग्रामीणों ने बताया कि जब विद्यालय भवन 2002 में बन रहा था, उसी समय अनियमितता की शिकायत की गई थी। भवन निर्माण सामग्री घटिया होने के चलते इसकी बार-बार शिकायत की गई। इसके बावजूद विभाग ने उक्त विद्यालय पठन-पाठन शुरू करवाया अर्थात् इन भवनों का निर्माण मानकों के अनुसार नहीं हुआ है।

प्रोत्साहन योजना के तहत परिषदीय एवं मान्यता-प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिलने वाली निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण तीन महीने बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं हो पाया। आगे भी इस माह में पुस्तकों का वितरण होने की उम्मीद नहीं है। शासन स्तर पर इन पुस्तकों के मुद्रण का कार्य भी अभी तक पूरा नहीं कराया जा सका है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी अगले महीने होने वाली सत्र परीक्षा बिना पुस्तकों के ही देने को मजबूर होंगे। वर्तमान शैक्षिक सत्र के करीब तीन महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पुस्तकें शासन स्तर से ज़िला मुख्यालय को प्राप्त नहीं हो सकी हैं, जबकि प्रत्येक सत्र में पहली सत्र परीक्षा सितम्बर माह में होना निश्चित है। विभागीय सूत्रों का मानना है कि इस बार सत्र परीक्षा तक इन पुस्तकों का वितरण होना सम्भव दिखाई नहीं दे रहा। यह पहला अवसर है, जब तीन महीने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण विद्यार्थियों को नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात करना अर्थहीन होगा।

4. 'मिड-डे-मील' शिक्षण और स्वास्थ्य दोनों को कुप्रभावित कर रही है — 'दलिया में कीड़े, मानक के अनुसार भोजन नहीं, अध्यापक पढ़ाने के बजाय खाना बनवाने, बर्तनों की सफ़ाई, खाद्य सामग्री के रख-रखाव आदि में व्यस्त रहते हैं। कभी माप-तौल में घोटाले, कभी निम्न स्तरीय भोजन, कभी प्रधानों, प्रधानाध्यापकों व अन्य कर्मचारियों की बन्दर-बाँट आम बातें हैं।

स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रत्येक सोमवार को बच्चों को एक ताज़ा मौसमी

फल देने का आदेश है। अगर किसी सोमवार को छुट्टी रहेगी तो अगले शिक्षण दिवस में फल बाँटे जाएँगे। इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी हो चुका है। संक्रमण से बचने के लिए बच्चों को कटे फल न देने के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेश में बच्चों को अमरूद, केला, सेब, संतरा, नाशपाती, चीकू और शरीफा जैसे मौसमी फल देने को कहा गया है। एक फल की अनुमानित लागत चार रुपये आंकी गई है। रविवार को छुट्टी के बाद बच्चों को स्कूल आने के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से फल वितरण का दिन सोमवार चुना गया है। फल वितरण के समय स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। फल वितरण के लिए वित्तीय स्वीकृति हर साल अप्रैल तथा सितम्बर में जारी की जाएगी।

5. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क परिधान बाँटने का प्रावधान है। अकसर देखने में आता है कि सत्र के मध्य तक भी परिधान का वितरण नहीं हो पाता है। *अमर उजाला* समाचार-पत्र (8 अगस्त, 2016) के अनुसार—जनपद में 1953 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं 802 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में करीब दो लाख 65 हज़ार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसके अलावा ज़िले में मान्यता प्राप्त एवं शासन द्वारा वित्त सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या भी लगभग एक हज़ार है। कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों की संख्या 14 है और हाई स्कूलों और इन्टर कॉलेजों के साथ संबद्ध जूनियर हाई स्कूलों की संख्या सवा सौ के करीब है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या करीब 85 हज़ार है। इस तरह ज़िले में एक से आठ तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या करीब तीन लाख 48 हज़ार 356 है। निःशुल्क परिधान वितरण करने की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को दो सेट परिधान उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार की ओर से परिधान के लिए ज़िले को 10 करोड़ 25 लाख की धनराशि बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन अभी तक बच्चों को निःशुल्क परिधान का वितरण नहीं किया गया है।

6. प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों से शिक्षण के अलावा अतिरिक्त कार्य लिया जाता है जिससे वे अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से नहीं निभा पाते। ये अतिरिक्त कार्य अग्रलिखित हैं —

(i) जनगणना, (ii) बाल श्रमिक गणना, (iii) कुष्ठ एवं विकलांग गणना, (iv) वोटर लिस्ट बनाना, (v) वोटर लिस्ट सत्यापन एवं संशोधन, (vi) पहचान पत्र बनवाना, (vii) पोलियों ड्यूटी, (viii) चुनाव ड्यूटी, (ix) संघीय चुनाव व सरकारी अवकाश, (x) महिला अध्यापिकाओं को 60 प्रतिशत प्रसूति अवकाश। इसके अलावा शिक्षा-मित्रों को उन्हीं के ग्राम में नियुक्त किया जाता है, जिससे वे विद्यालय में न रहकर अपने घर के कार्यों में लिप्त रहते हैं।

7. नई दिशा कार्यक्रम के अन्तर्गत ज़िलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों संग बैठक कर विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर अपेक्षित सुधार एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डाउनलोड से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया। ज़िलाधिकारी ने कहा कि ज़िला स्तर पर

सॉफ्टवेयर 'नई दिशा' तैयार किया गया है। इसके माध्यम से स्कूलों में हो रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त होगी। शिक्षकों के अवकाश से सम्बन्धित शिकायतों का समाधान भी होगा। यह सॉफ्टवेयर एन्ड्रायड फ़ोन में डाउनलोड किया जा सकता है। एक ही एन्ड्रायड फ़ोन से विद्यालय के सभी शिक्षकों का पंजीकरण सम्भव है। इसकी ओपन एक्टीविटी में पाँच तरह के क्रियाकलाप पर कार्य किया जा सकता है। इसमें खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पी.टी.योग, स्वच्छता, अभिभावक-संपर्क आदि शामिल हैं। एक क्रियाकलाप पर स्कूलों को दो अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार, मासिक क्रियाकलाप के तहत विद्यार्थियों के जन्मदिन, जयंती समारोह या अन्य कोई समारोह आयोजन होने के उपरान्त फ़ोटो आदि अपलोड करने की सुविधा होगी। बैठक में ज़िलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने सभी शिक्षकों से स्कूलों के शैक्षणिक स्तर में सुधार की अपेक्षा की। बैठक में ज़िला एवं ब्लॉक स्तर के सभी शिक्षा अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

उपरोक्त कार्यक्रम 'नई दिशा' ने शिक्षकों को नियमित व समय से स्कूल आने के लिए बाध्य किया। साथ-ही-साथ अध्यापकों के बिना छुट्टी की अर्ज़ी दिए गायब होने तथा अगले दिन उपस्थित होकर उपस्थिति-पंजिका पर हस्ताक्षर करने जैसे क्रियाकलाप पर निश्चित ही नियंत्रण पाया जा सका। स्कूलों द्वारा अधिक नम्बर पाने की लालसा में ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाकलाप करवाकर फ़ोटो अपलोड किए गए। इन क्रियाकलापों के अंक भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा बेसिक शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए, जिन्हें ब्लॉकवार तालिका 1 में दर्शाया गया है —

तालिका — 1

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	अंक
1.	मोहम्मदाबाद	2030
2.	जखनियाँ	1860
3.	सैदपुर	1806
4.	बिरनों	1802
5.	मरदह	1578
6.	मनिहारी	1572
7.	बाराचवर	1400
8.	भदौरा	1366
9.	देवकली	1342
10.	गाज़ीपुर सदर	1270
11.	सादात	968
12.	कासिमाबाद	758
13.	जमानियाँ	710
14.	करण्डा	614
15.	भावरकोल	465
16.	रेवतीपुर	460
17.	नगर क्षेत्र	156

'नई दिशा' कार्यक्रम लागू होने से उपस्थिति में तो सुधार हुआ, लेकिन शिक्षा का स्तर जस-का-तस बना हुआ है। यह तभी सुधर सकता है जब अध्यापक एवं अभिभावक शिक्षा के प्रति जागरूक हों। अध्यापकों से वार्ता करने पर पता चला कि रबी व खरीफ़ की फ़सलों की बुआई-जुताई व कटाई के समय अधिकांश विद्यार्थी स्कूल नहीं आते जिससे पढ़ाई में विघ्न पड़ता है। कुछ प्राथमिक अध्यापकों ने मध्याह्न भोजन योजना को भी ज़िम्मेदार ठहराया। उनके अनुसार, उनका काफ़ी ज़्यादा समय मध्याह्न भोजन बनवाने व

खिलाने में खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से पढ़ाई बाधित होती है। अभिभावक-अध्यापक संपर्क पंजिका भी प्राथमिक विद्यालयों में मौजूद है, जिसमें अध्यापक अभिभावकों से मिलकर यह दर्ज करते हैं कि उनका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया? अधिकतर समय इन सभी कागज़ी कार्यवाही में खर्च हो जाता है, जिसके कारण शिक्षक कार्य प्रभावित होता है।

8. बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वे विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार से दूर रहें। अध्यापकों की गलतियाँ पाए जाने पर तुरन्त कार्यवाही करें। ऐसा न करने के कारण ही शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हो पाता है। आए दिन मसले समाचार-पत्रों में उजागर होते रहते हैं।

ग्राम शिक्षा समिति में ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले बेसिक स्कूलों के विद्यार्थियों के तीन अभिभावक (जिसमें एक महिला होनी आवश्यक है) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित होते हैं, सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले बेसिक स्कूल का ज्येष्ठतम प्रधानाध्यापक सचिव होता है। ग्राम शिक्षा समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया ताकि जन-समुदाय का अपेक्षित सहयोग इन विद्यालयों को मिल सके। लेकिन ग्राम प्रधानों व प्रधानाध्यापकों की नीरसता व 'ताल-मेल' के चलते ये विद्यालय शिक्षा व संसाधन बढ़ोत्तरी के क्षेत्र में अपेक्षित उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। कभी-कभी ग्राम प्रधान व प्रधानाध्यापक के भ्रष्ट व्यवहार के चलते विद्यालय भवन का निर्माण भी घटिया सामग्री से कराए जाने के कारण भवन अधिक टिकाऊ नहीं बन पाते हैं तथा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

निष्कर्ष

सरकार बेसिक शिक्षा स्कूलों पर काफ़ी धन खर्च कर रही है, लेकिन इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल रहा। एक अनुमान के अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को औसतन चालीस हज़ार रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। इसके लिए उन्हें विद्यालय में लगभग दस बच्चों को पढ़ाना होता है। अध्यापक विभिन्न समस्याओं के चलते उन विद्यार्थियों को भी अपना पूरा समय नहीं दे पाते। इन समस्याओं में शामिल हैं — विद्यार्थियों का नियमित तौर पर विद्यालय न पहुँचना, अभिभावकों का शिक्षा के मूल्य को न समझना, विद्यार्थियों का विद्यालय के प्रति आकर्षण कम होना, समय पर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों, स्कूल बैग आदि सुविधाएँ न मिलना, विद्यालय में संसाधनों, जैसे — सहायक सामग्री, कुर्सी-मेज़ का न होना, अध्यापकों का अपने कार्य के प्रति जागरूक होना, मध्याह्न भोजन में पौष्टिकता का अभाव इत्यादि।

कुछ अध्यापक, जो अध्यापन-अभिक्षमता परीक्षण पास करके प्राथमिक शिक्षक बने हैं, वे अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल छोड़कर बेसिक स्कूलों में कार्यरत हैं। उनका कहना है कि उन्हें कार्य-सन्तुष्टि नहीं मिलती। वे अगर कार्य करना भी चाहते हैं तो तीसरी कक्षा के बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराना होता है, जिसके कारण वे विच्छिन्न होते हैं। वे भी शिक्षण सुविधाओं के बेसिक विद्यालयों में न होने से परेशान हैं।

इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए यह अति आवश्यक है कि बेसिक शिक्षा विभाग स्कूलों की शिक्षण सामग्री को विकसित करे। साथ-ही-साथ अभिभावकों में जागरूकता का भाव भी पैदा करे, प्रत्येक विद्यालय के क्रियाकलाप की जानकारी अभिभावकों को दी जाए, अध्यापक अपने कार्य के प्रति सजग रहें, बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए, बेसिक शिक्षा विभाग निजी विद्यालयों की तरह विद्यार्थियों के लिए कुर्सी-मेज़ की व्यवस्था करे, कक्षा-कक्ष प्रत्येक कक्षा के हिसाब से हो।

कुछ विद्यालय की ग्राम शिक्षा समितियों की जागरूकता के चलते शिक्षण स्तर में सुधार देखा गया है। प्राथमिक विद्यालय, सोठरा, मरदह निजी अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालय की तर्ज पर ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विकसित किया गया है। इसमें ढाई सौ छात्र/छात्राएँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक उपलब्ध नहीं कराने पर यहाँ के ग्राम प्रधान व प्रधानाध्यापक समग्र रूप से मिलकर निजी शिक्षक उपलब्ध करवाकर विद्यार्थियों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं जिसके लिए ज़िलाधिकारी द्वारा प्रोत्साहन प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया गया है।

शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना से दूर रखना, उन्हें चुनाव, पल्स पोलियो ड्यूटी आदि में तैनात न करना भी शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकता है।

बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी व अधिकारी अपने कार्य के प्रति सजगता लाएँ तो भी इस दिशा में सुधार हो सकता है। ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों में चार-चाँद लग सकते हैं व शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति देखी जा सकती है। ग्राम शिक्षा समिति में साक्षर अभिभावकों को सदस्य के रूप में नामित भी किया जा सकता है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में अपेक्षित सफलता मिल सकती है।

सरकार नये विद्यालय खोलने में धन बर्बाद न करते हुए इन्हीं विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण-सामग्री की व्यवस्था करे, कक्षा-कक्ष का निर्माण करवाए, विद्यालय में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग प्रसाधन की व्यवस्था करे तो शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार संभव है।

संदर्भ

गुप्ता, एस.पी. और अलका गुप्ता. 2010. *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ.* (संशोधित तथा परिवर्द्धित संस्करण), शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

देवीस्वरूप. 2011. अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा. *विद्या मेघ, करेण्ट अफेयर्स*. विद्या प्रकाशन मंदिर (प्रा.) लि., मेरठ.

'नई दिशा' से आप जानेंगे स्कूलों की हर गतिविधि. 21 जुलाई, 2016 को www.gazipur.nic.in से लिया गया.

शर्मा, आर.ए. 2010. *अध्यापक शिक्षा*. सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ.

शर्मा, आर.ए. और शिखा चतुर्वेदी. 2011. *अध्यापक शिक्षा*. इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ.

सिंह, ओंकार. 2010. प्राथमिक शिक्षा में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका. *विद्या मेघ, करेण्ट अफेयर्स*. विद्या प्रकाशन मंदिर (प्रा.) लि., मेरठ.